

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2005

का.आ. 390(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 308 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मद्रास इग्मोर लायन्स ब्लड बैंक और रिसर्च फाऊन्डेशन, 11 हाल्स रोड, किल्पोक चेन्नई- 600010 द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में ब्लड संघटकों के लिए उपकरणों एवं सहायक सामग्री की खरीद को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में 30 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1387 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास इग्मोर लायन्स ब्लड बैंक रिसर्च फाऊन्डेशन, 11 हाल्स रोड, किल्पोक चेन्नई - 600010 द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में ब्लड संघटक उपकरणों एवं उप सहायक सामग्री की खरीद की परियोजना या स्कीम को अनुमत लागत में कोई परिवर्तन किए बिना अर्थात् 20.67 लाख रुपये पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 101/2005/फा. सं. एनसी-270/01/2005]

डी.पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)